



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06092022-238630
CG-DL-E-06092022-238630

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 432]
No. 432]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 6, 2022/भाद्र 15, 1944
NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 6, 2022/BHADRA 15, 1944

जामिया मिल्लिया इस्लामिया

(उच्च शिक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मई, 2022

फा. सं. सीएंडओ-5(7)/कु.का./2022.—जामिया मिल्लिया इस्लामिया अधिनियम, 1988 की धारा 39(1) और धारा 39(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कार्यकारी परिषद ने विज़िटर के अनुमोदन से एतद्वारा परिनियम 17, संविधि 20 और संविधि 22-ए में निम्नानुसार संशोधन किया है:

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ:

- (1) इन संविधि को जामिया मिल्लिया इस्लामिया (संशोधन) संविधि 2022 कहा जा सकता है
- (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।

2. जामिया मिल्लिया इस्लामिया संविधि में, संविधि 17 को "संकाय" के रूप में नामित किया जाएगा

17. संकाय:

विश्वविद्यालय में निम्नलिखित संकाय होंगे अर्थात्:

- (1) मानविकी एवं भाषा संकाय
- (2) सामाजिक विज्ञान संकाय
- (3) प्राकृतिक विज्ञान संकाय

- (4) शिक्षा संकाय
- (5) इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संकाय
- (6) विधि संकाय
- (7) वास्तुकला एवं एकिस्टिक्स संकाय
- (8) दंत चिकित्सा संकाय
- (9) ललित कला संकाय
- (10) प्रबंधन अध्ययन संकाय तथा
- (11) ऐसे अन्य संकाय जो इन विधियों द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं

20. विभाग:

- (1) प्रत्येक संकाय में ऐसे विभाग होंगे जो उसे अध्यादेश द्वारा सौंपे जाएं।
- (2) इस संविधि के अलावा कोई भी विभाग स्थापित या समाप्त नहीं किया जाएगा।
- (3) विश्वविद्यालय में मौजूदा विभाग¹¹ जामिया मिल्लिया इस्लामिया अधिनियम, 1988 के प्रारंभ में और उससे संबंधित संकायों को इस संविधि के परिशिष्ट 'ए' में निर्धारित किया गया है।

बशर्ते कि निम्नलिखित भी अध्ययन विभाग होंगे:

- (i) शैक्षिक अध्ययन विभाग;
- (ii) शिक्षक प्रशिक्षण और अनौपचारिक शिक्षा विभाग (शिक्षा में उन्नत अध्ययन संस्थान);
- (iii) इतिहास एवं संस्कृति विभाग;
- (iv) उर्दू विभाग;
- (v) इस्लामी अध्ययन विभाग;
- (vi) अरबी विभाग;
- (vii) फारसी विभाग;
- (viii) हिंदी विभाग;
- (ix) अंग्रेजी विभाग;
- (x) पर्यटन एवं आतिथ्य प्रबंधन विभाग
- (xi) अर्थशास्त्र विभाग;
- (xii) राजनीति विज्ञान विभाग;
- (xiii) समाज कार्य विभाग;
- (xiv) समाजशास्त्र विभाग;
- (xv) मनोविज्ञान विभाग ;
- (xvi) वाणिज्य एवं व्यवसाय अध्ययन विभाग;
- (xvii) वयस्क एवं सतत शिक्षा विस्तार विभाग
- (xviii) भौतिकी विभाग
- (xix) रसायन शास्त्र विभाग;

¹¹ अधिसूचना संख्या आरओ/एल/आई./07 दिनांक 2-1-2008 द्वारा जोड़ा गया।

- (xx) भूगोल विभाग;
- (xxi) गणित विभाग;
- (xxii) जैव विज्ञान विभाग;
- (xxiii) कंप्यूटर विज्ञान विभाग;
- (xxiv) जैव प्रौद्योगिकी विभाग;
- (xxv) सिविल इंजीनियरिंग विभाग;
- (xxvi) मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग
- (xxvii) इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग;
- (xxviii) अनुप्रयुक्त विज्ञान एवं मानविकी विभाग;
- (xxix) इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार इंजीनियरिंग विभाग;
- (xxx) कंप्यूटर इंजीनियरिंग विभाग;
- (xxxi) विश्वविद्यालय पॉलिटेक्निक;
- (xxxii) वास्तुकला विभाग;
- (xxxiii) चित्रकला विभाग;
- (xxxiv) मूर्तिकला विभाग;
- (xxxv) अनुप्रयुक्त कला विभाग;
- (xxxvi) कला शिक्षा विभाग;
- (xxxvii) कला इतिहास एवं कला प्रशंसा विभाग;
- (xxxviii) ग्राफिक कला विभाग ;
- (xxxix) विदेशी भाषा विभाग
- (xl) अस्पताल प्रबंधन एवं हॉस्पिस अध्ययन विभाग
- (xli) पर्यावरण विज्ञान विभाग
- (xlii) डिजाइन एवं नवाचार विभाग
- (xliii) प्रबंधन अध्ययन विभाग
- (xliv) ऐसे अन्य विभाग जो समय-समय पर सृजित और समनुदेशित किए जा सकते हैं

ऊपर उद्धृत परिनियम 20 के संशोधित खंड (3) में संदर्भित परिशिष्ट 'ए' निम्नानुसार है:

परिशिष्ट 'ए'

1. शिक्षा संकाय (अध्ययन विभाग)

- (i) शैक्षिक अध्ययन विभाग;
- (ii) शिक्षक प्रशिक्षण और अनौपचारिक शिक्षा विभाग (शिक्षा में उन्नत अध्ययन संस्थान); तथा
- (iii) ऐसे अन्य विभाग जो समय-समय पर सृजित और समनुदेशित किए जा सकते हैं

2. मानविकी एवं भाषा संकाय (अध्ययन विभाग)

- (i) इतिहास एवं संस्कृति विभाग;
- (ii) उर्दू विभाग;
- (iii) इस्लामी अध्ययन विभाग;
- (iv) अरबी विभाग;

- (v) फ़ारसी विभाग;
- (vi) हिंदी विभाग;
- (vii) अंग्रेजी विभाग;
- (viii) विदेशी भाषा विभाग ; तथा
- (ix) ऐसे अन्य विभाग जो समय-समय पर सृजित और समनुदेशित किए जा सकते हैं

3. सामाजिक विज्ञान संकाय (अध्ययन विभाग)

- (i) अर्थशास्त्र विभाग;
- (ii) राजनीति विज्ञान विभाग;
- (iii) सामाजिक कार्य विभाग;
- (iv) समाजशास्त्र विभाग;
- (v) मनोविज्ञान विभाग;
- (vi) वाणिज्य एवं व्यवसाय अध्ययन विभाग;
- (vii) वयस्क और सतत शिक्षा और विस्तार विभाग; तथा
- (viii) ऐसे अन्य विभाग जो समय-समय पर सृजित और समनुदेशित किए जा सकते हैं

4. प्राकृतिक विज्ञान संकाय (अध्ययन विभाग)

- (i) भौतिकी विभाग;
- (ii) रसायन विभाग;
- (iii) भूगोल विभाग;
- (iv) गणित विभाग;
- (v) जैव विज्ञान विभाग;
- (vi) कंप्यूटर विज्ञान विभाग;
- (vii) जैव प्रौद्योगिकी विभाग ;तथा
- (viii) ऐसे अन्य विभाग जो समय-समय पर सृजित और समनुदेशित किए जा सकते हैं

5. इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संकाय (अध्ययन विभाग)

- (i) सिविल इंजीनियरिंग विभाग;
- (ii) मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग ;
- (iii) इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग;
- (iv) अनुप्रयुक्त विज्ञान एवं मानविकी विभाग;
- (v) इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार इंजीनियरिंग विभाग;
- (vi) कंप्यूटर इंजीनियरिंग विभाग;
- (vii) विश्वविद्यालय पॉलिटेक्निक;
- (viii) पर्यावरण विज्ञान विभाग ;तथा
- (ix) ऐसे अन्य विभाग जो समय-समय पर सृजित और समनुदेशित किए जा सकते हैं

6. वास्तुकला एवं एकिस्टिक्स संकाय (अध्ययन विभाग)

- (i) वास्तुकला विभाग;
- (ii) डिजाइन और नवाचार विभाग ;तथा
- (iii) ऐसे अन्य विभाग जो समय-समय पर सृजित और समनुदेशित किए जा सकते हैं

7. ललित कला संकाय (अध्ययन विभाग)

- (i) चित्रकला विभाग;
- (ii) मूर्तिकला विभाग;
- (iii) अनुप्रयुक्त कला विभाग;
- (iv) कला शिक्षा विभाग;
- (v) ग्राफिक कला विभाग
- (vi) कला इतिहास एवं कला प्रशंसा विभाग; तथा
- (vii) ऐसे अन्य विभाग जो समय-समय पर सृजित और समनुदेशित किए जा सकते हैं

8. विधि संकाय**9. दंत चिकित्सा संकाय****10. प्रबंधन अध्ययन संकाय (अध्ययन विभाग)**

- (i) पर्यटन एवं आतिथ्य प्रबंधन विभाग
- (ii) अस्पताल प्रबंधन और हॉस्पिस अध्ययन विभाग
- (iii) प्रबंधन अध्ययन विभाग

22-ए . केंद्र:*

1. संविधि 22 का पूरक, विश्वविद्यालय के निम्नलिखित केंद्र भी होंगे, अर्थात्:

- (i) डॉ .जाकिर हुसैन इस्लामी अध्ययन संस्थान
- (ii) एफटीके-सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र
- (iii) एमएमएजे अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन अकादमी
- (iv) दूरस्थ एवं ऑनलाइन शिक्षा केंद्र (CDOE)
- (v) नेल्सन मंडेला पीस एवं कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन केंद्र
- (vi) जवाहरलाल नेहरू अध्ययन केंद्र
- (vii) धर्म एवं सभ्यता तुलनात्मक केंद्र
- (viii) पश्चिम एशियाई अध्ययन केंद्र
- (ix) डॉ .के. आर नारायणन दलित एवं अल्पसंख्यक अध्ययन केंद्र
- (x) स्पेनिश एवं लैटिन अमेरिकी अध्ययन केंद्र
- (xi) उर्दू माध्यम शिक्षक व्यावसायिक विकास अकादमी
- (xii) ¹³फ़िजियोथेरेपी एवं पुनर्वास विज्ञान केंद्र
- (xiii) पूर्वोत्तर अध्ययन एवं नीति अनुसंधान केंद्र
- (xiv) नैनोविज्ञान एवं नैनो प्रौद्योगिकी केंद्र
- (xv) सैद्धांतिक भौतिकी केंद्र
- (xvi) भारत -अरब सांस्कृतिक केंद्र
- (xvii) संस्कृति मीडिया एवं प्रशासन केंद्र
- (xviii) मूल विज्ञान में अंतःविषय अनुसंधान केंद्र ; तथा
- (xix) ऐसे अन्य केंद्र (केंद्रों) जो इन विधियों द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं।

*जामिया मिल्लिया इस्लामिया अधिनियम, 1988 की धारा 24(3) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष के रूप में भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित उपरोक्त अतिरिक्त संविधि 22-ए "केंद्र" जो भारत का पत्र संख्या F.6-6/2003 - डेस्क (यू) दिनांक 13-3-2008 मानव संसाधन विकास मंत्रालय ,भारत सरकार के द्वारा 13-3-2008 से प्रभावी हुआ और मजलिस-ए-मुंताज़िमाह (कार्यकारी परिषद) दिनांक 5-5-2006 के संकल्प III(3.4) द्वारा जोड़ा गया।

¹³अधिसूचना संख्या JMI/RO/L/Ord./ 2009 दिनांक 8-10-2009 द्वारा जोड़ा गया।

2. अधिनियम और इन संविधि के प्रावधानों के अधीन, प्रत्येक केंद्र प्रबंधन बोर्ड के तहत कार्य करेगा, जिसकी संरचना, शक्तियां और कार्य संबंधित केंद्रों के अध्यादेशों में निर्धारित होंगे।
3. प्रत्येक केंद्र में एक निदेशक होगा, जिसे संबंधित संविधि के प्रावधानों के अनुसार नियुक्त किया जाएगा; जो कि शक्तियों का उपयोग करेंगे और अध्यादेशों द्वारा निर्धारित कार्यों का पालन करेंगे।

प्रो .नाज़िम हुसैन जाफ़री, कुलसचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./240/2022-23]

टिप्पणी: जामिया मिल्लिया इस्लामिया संविधि, 1988 को जामिया मिल्लिया इस्लामिया अधिनियम, 1988 के साथ उस अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची के रूप में प्रकाशित किया गया और अंतिम बार F.No. 03/L&O/RO/JMI/ 2016 दिनांक 17 फरवरी 2016 में संशोधित किया गया।

JAMIA MILLIA ISLAMIA
(Department of Higher Education)
NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd May, 2022

F. No. C&O-5(7)/RO/2022.—In exercise of the powers conferred by Section 39 (1) and Section 39 (2) of Jamia Millia Islamia Act, 1988, the Executive Council, with the approval of the Visitor, hereby makes the amendments in Statute 17, Statute 20 and Statute 22-A as follows:

1. Short title and commencement:
 - (1) These Statutes may be called as Jamia Millia Islamia (Amendment) Statutes 2022.
 - (2) It shall come in force on the date of its publication in the Official Gazette.
2. In Jamia Millia Islamia Statutes, Statute 17 will be named as “FACULTIES”

17. FACULTIES:

The University shall have the following Faculties namely:

- (1) The Faculty of Humanities and Languages
- (2) The Faculty of Social Sciences;
- (3) The Faculty of Natural Sciences;
- (4) The Faculty of Education;
- (5) The Faculty of Engineering and Technology
- (6) The Faculty of Law;
- (7) The Faculty of Architecture & Ekistics;
- (8) The Faculty of Dentistry;
- (9) The Faculty of Fine Arts;
- (10) **Faculty of Management Studies;** and
- (11) Such other Faculties as may be prescribed by these Statutes

20. DEPARTMENTS:

- (1) Each Faculty shall have such Departments as may be assigned to it by the Ordinances.
- (2) No Department shall be established or abolished except by these Statutes.
- (3) The Departments in existence ¹¹[in the University at the commencement of the Jamia Millia Islamia Act, 1988 and the Faculties relating thereto are set out in Appendix ‘A’ to this Statute.

Provided that the following shall also be the Departments of Studies:

- (i) Department of Educational Studies;
- (ii) Department of Teachers Training & Non-Formal Education (Institute of Advanced Studies in Education);

- (iii) Department of History and Culture;
- (iv) Department of Urdu;
- (v) Department of Islamic Studies;
- (vi) Department of Arabic;
- (vii) Department of Persian;
- (viii) Department of Hindi;
- (ix) Department of English;
- (x) Department of Tourism and Hospitality Management
- (xi) Department of Economics;
- (xii) Department of Political Science;
- (xiii) Department of Social Work;
- (xiv) Department of Sociology;
- (xv) Department of Psychology;
- (xvi) Department of Commerce and Business Studies;
- (xvii) Department of Adult and Continuing Education and Extension
- (xviii) Department of Physics
- (xix) Department of Chemistry;
- (xx) Department of Geography;
- (xxi) Department of Mathematics;
- (xxii) Department of Biosciences;
- (xxiii) Department of Computer Science;
- (xxiv) Department of Biotechnology;
- (xxv) Department of Civil Engineering;
- (xxvi) Department of Mechanical Engineering
- (xxvii) Department of Electrical Engineering;
- (xxviii) Department of Applied Sciences & Humanities;
- (xxix) Department of Electronics & Communication Engineering;
- (xxx) Department of Computer Engineering;
- (xxxi) University Polytechnic;
- (xxxii) Department of Architecture;
- (xxxiii) Department of Painting;
- (xxxiv) Department of Sculpture;
- (xxxv) Department of Applied Art;
- (xxxvi) Department of Art Education;
- (xxxvii) Department of Art History and Art Appreciation;
- (xxxviii) Department of Graphic Art;
- (xxxix) ***Department of Foreign Languages***
- (xl) ***Department of Hospital Management & Hospice Studies***
- (xli) ***Department of Environmental Sciences***
- (xlii) ***Department of Design and Innovation***
- (xliii) ***Department of Management Studies***
- (xliv) Such other Department(s) as may be created and assigned from time to time

¹¹ Inserted by the Notification No. R.O./L/Ord./07 dated 2-1-2008.

Appendix 'A' referred to in modified Clause (3) of Statute 20 quoted above is as under:

Appendix 'A'

1. Faculty of Education (Departments of Studies)

- (i) Department of Educational Studies;
- (ii) Department of Teachers Training & Non-Formal Education (Institute of Advanced Studies in Education); and
- (iii) Such other Departments as may be created and assigned from time to time

2. Faculty of Humanities and Languages (Departments of Studies)

- (i) Department of History and Culture;
- (ii) Department of Urdu;
- (iii) Department of Islamic Studies;
- (iv) Department of Arabic;
- (v) Department of Persian;
- (vi) Department of Hindi;
- (vii) Department of English;
- (viii) *Department of Foreign Languages*; and
- (ix) Such other Department(s) as may be created and assigned from time to time

3. Faculty of Social Sciences (Departments of Studies)

- (i) Department of Economics;
- (ii) Department of Political Science;
- (iii) Department of Social Work;
- (iv) Department of Sociology;
- (v) Department of Psychology;
- (vi) Department of Commerce and Business Studies;
- (vii) Department of Adult and Continuing Education and Extension; and
- (viii) Such other Department(s) as may be created and assigned from time to time

4. Faculty of Natural Sciences (Departments of Studies)

- (i) Department of Physics;
- (ii) Department of Chemistry;
- (iii) Department of Geography;
- (iv) Department of Mathematics;
- (v) Department of Biosciences;
- (vi) Department of Computer Science;
- (vii) Department of Biotechnology; and
- (viii) Such other Department(s) as may be created and assigned from time to time

5. Faculty of Engineering and Technology (Departments of Studies)

- (i) Department of Civil Engineering;
- (ii) Department of Mechanical Engineering;
- (iii) Department of Electrical Engineering;
- (iv) Department of Applied Sciences & Humanities;
- (v) Department of Electronics & Communication Engineering;
- (vi) Department of Computer Engineering;
- (vii) University Polytechnic;
- (viii) *Department of Environmental Sciences*; and

(ix) Such other Department(s) as may be created and assigned from time to time

6. Faculty of Architecture and Ekistics (Departments of Studies)

(i) Department of Architecture;

(ii) *Department of Design and Innovation*; and

(iii) Such other Departments as may be created and assigned from time to time

7. Faculty of Fine Arts (Departments of Studies)

(i) Department of Painting;

(ii) Department of Sculpture;

(iii) Department of Applied Art;

(iv) Department of Art Education;

(v) Department of Graphic Art

(vi) Department of Art History and Art Appreciation; and

(vii) Such other Department(s) as may be created and assigned from time to time

8. Faculty of Law

9. Faculty of Dentistry

10. Faculty of Management Studies (Departments of Studies)

(i) Department of Tourism and Hospitality Management

(ii) *Department of Hospital Management & Hospice Studies*

(iii) *Department of Management Studies*

22-A. CENTRES*:

1. Supplement to Statute 22, the University shall also have the following Centres, namely:

(i) Dr. Zakir Husain Institute of Islamic Studies

(ii) FTK-Centre for Information Technology

(iii) MMAJ Academy of International Studies

(iv) Centre for Distance and Online Education (CDOE)

(v) Nelson Mandela Centre for Peace and Conflict Resolution

(vi) Centre for Jawaharlal Nehru Studies

(vii) Centre for Comparative Religions and Civilizations

(viii) Centre for West Asian Studies

(ix) Dr. K.R. Narayanan Centre for Dalit and Minorities Studies

(x) Centre for Spanish and Latin American Studies

(xi) Academy of Professional Development of Urdu Medium Teachers

(xii) ¹³ Centre for Physiotherapy and Rehabilitation Sciences

(xiii) Centre for North East Studies and Policy Research

(xiv) Centre for Nanoscience and Nanotechnology

(xv) Centre for Theoretical Physics

(xvi) India - Arab Cultural Centre

(xvii) Centre for Culture Media & Governance

(xviii) Centre for Interdisciplinary Research in Basic Sciences; and

(xix) Such other Centre(s) as may be prescribed by these Statutes.

* The above additional Statute 22-A "CENTRES" approved by the President of India in the capacity as Visitor of the University in exercise of powers vested in her under Section 24 (3) of Jamia Millia Islamia Act, 1988 which came into force w.e.f. 13-3-2008 vide Ministry of Human Resource Development, Govt. of India letter No. F.6-6/2003 – Desk (U) dated 13-3-2008 and Resolution III (3.4) of the *Majlis-i-Muntazimah* (Executive Council) dated 5-5-2006.

¹³ Inserted by the Notification No. JMI/RO/L/Ord./2009 DATED 8-10-2009.

2. Subject to the provisions of the Act and these Statutes, each Centre shall function under a Board of Management, the composition, powers and functions of which shall be as prescribed in the Ordinances of the respective Centres.
3. Each Centre shall have a Director, who shall be appointed in accordance with the provisions of the relevant Statute; and shall enjoy such powers and perform such functions as prescribed by the Ordinances.

Prof. NAZIM HUSAIN JAFRI, Registrar

[ADVT.-III/4/Exty./240/2022-23]

Note: The Jamia Millia Islamia Statutes, 1988 were published along with the Jamia Millia Islamia Act, 1988 as a Schedule annexed to that Act and were last amended vide F.No. 03/L&O/RO/JMI/2016, dated February 17, 2016.